FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. पीराराम पुत्र मानाराम जाति भील निवासी रंटूजा वगैरा कुल 5 पक्षकार		हंजाराम पुत्र रामला जाति भील निवासी रंटूजा वगैरा कुल 14 पक्षकार

अपील संख्या 39 /2018

किस्म मुकद्दमा : अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/10/18	वकील अपीलाण्ट उपस्थित। वकील अपीलाण्ट द्वारा यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 54/2018 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 11/10/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जालोर के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम सुनवाई में ही अपने एकपक्षीय आदेश दिनांक 11.10.2018 द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर आगामी तारीख दिनांक 28.12.2018 नियत की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील उक्त आदेश के विरूद्ध हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। वकील अपीलांट की बहस अपील के एडमिशन पर सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही सत्य मानते हुए अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को अन्तरिम व्यादेश से पाबन्द किया गया है, जबकि अपीलाण्ट जैर अपील विवादित आराजी के सह खातेदार है तथा विधि अनुसार एक सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तरिम व्यादेश जारी करने का कोई आधार ही नहीं था एवं न ही ऐसी कोई परिस्थितियां रेकर्ड पर थी, जिसके कारण व्यादेश जारी किया जाना आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 11/10/2018 पारित करने के तुरंत पश्चात आदेश 39 नियम 3 ए की पालना की जानी चाहिए थी, जिसमें उक्त स्थगन आदेश की कॉपी मय प्रार्थना पत्र तीन दिन के भीतर-भीतर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्री भेजकर उसकी पालना रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेश करनी चाहिए थी। एक पक्षीय आदेश पारित करने के पश्चात आदेश 39 नियम 3 ए की पालना कराने का मेन्डेटरी प्रावधान है, जिसकी पालना नही की गई। अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को अपील के लम्बित रहते नही रोका जाता है, तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई प्रार्थी भविष्य में रूपयो-पैसो में नहीं	

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कर पायेगा। प्रथम दृष्टया मामला ऑन रेकर्ड सिद्ध है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/10/2018 के पालना एवं प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। जहां तक आदेश 39 नियम 03 सीपीसी का प्रश्न है, इस संबध में आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का उद्धरण इस प्रकार है– आदेश 39 नियम 3 –

3. Before granting injuction, Court to direct notice to opposite party-
The Court shall in all cases except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction direct notice of the application for the same to given to the opposite party.

(Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by dealy, and require the applicant-

(A) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with-

1. a copy of the affidavit filed in support of the application.
2. a copy of the plaint and
3. copies of doucments on which the applicant relies, and

(b) to file, on the day on which such in such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.)

आदेश 39 नियम 3 (क) सी0पी0सी0 में प्रावधित किया है कि "3-A. Court to disposed application for injunction within thirty days -- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the Court shall make an endeavour to finally dispose of the application within thirty days from the date on which injunction was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reasons its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय को 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलिखित करना चहिए। उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिवस ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय सुनवाई करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है एवं इसमें आगामी सुनवाई की तारीख भी दो माह पश्चात नियत की है, जबकि विधि अनुसार जहां एक पक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, वहां उस प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किये जाने के प्रावधान है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तो आगामी तारीख पेशी ही दो माह पश्चात नियत की है, जो विधिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। चूंकि जैर अपील आदेश अन्तरिम आदेश है, जिसके विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को एडमिशन के स्तर पर ही खारिज़ किया जाता है। चूंकि प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओं की पालना करवाई जानी आवश्यक है, तदनुसार उपखण्ड अधिकारी जालोर को आदेश दिया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 54/2018 में पारित आदेश दिनांक

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11.10.2018 के सम्बन्ध में उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। इस आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर	604 20.11.18